

ग्रामीण सेवा विधिर-2025
केम्प - 21/24 दि. 04/10/2024

(रा.स. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
शिवाना जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में मेरा/हमारे नाम लाखा पुत्र उमर खां हिस्सा 1/10 काम मुसलमान सा देह खातर दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम लियाकत पुत्र उमर खां हिस्सा 1/10 काम मुसलमान सा देह खातर है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

अथकत

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

आधार कार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम लियाकत पुत्र उमर खां लिखा हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में नाम लाखा पुत्र उमर खां दर्ज है कतः खेलास दस्तावेज के दुरुस्ती प्रार्थी का नाम लाखा पुत्र उमर खां का लियाकत पुत्र उमर खां किया जाना उचित है।

Amjad
दि. 04/10/24

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

Gcms - 2025/604

आदेश

पुत्र उमर खां
तहसीलदार समदडी

दिनांक 10/10/2024

क्रमांक / 1643

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम राखी की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 20 में लाखा पुत्र उमर खां लियाकत पुत्र उमर खां के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज करने की स्वीकृति



तदनुसार रेकर्ड में अपल दरमाद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
शिवाना, बालोतरा